

2019/00038

फर्द अहकाम

न्यायालय साहायक कलेक्टर बस्ती पि जयपुर
केलाश बनाम रौश गड

मुकदमा संख्या/वर्ष

21/2017

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		अनेको अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य पेश नही किये गले वकील वादी की साक्ष्य बंड की जाती है पत्रावली वास्ते अंतिम बख्त दिनांक 23/12/2022 को पेश हो।
23/12/2022		पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता की स्नातन पारिक हाजिर। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद स्याही निषेधात्ता पर अंतिम बख्त सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/12/2022 को पेश हो।
30/12/22		पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की उम्मे नाद पत्र पर प्रवे में एक पक्षीय बख्त सुनी जाती थी। पत्रावली का अवलेखन एवं पत्रावली में उल्लेखित दस्तावेजों का अवलेखन करते एवं वकील वादी द्वारा उम्मे वाद पत्र पर ली गयी बख्त पर अंतत करते के पश्चात वाद

साहायक कलेक्टर बस्ती पि जयपुर


फर्द अहकाम

चायालय _____ राजाजल कमकर बस्ती जिला पन्थर

बनाम _____ रेकन

क्रमा संख्या/वर्ष 21/19 : _____ / 20

सं० दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>अज्ञा भूमि खं. 1152 एकता 0.03 डिमेंशन विषय अज्ञा देगा व हसील देगा जिला भागपुर के समकक्ष में हम जाते हैं कि वाड अज्ञा भूमि व विस्तार गैर मुमकिन चाह पर सभी डिसेंटोरो का शामिली डिस्ता है तथा सभी डिसेंटोरो को गैर मुमकिन चाह का उपयोग, उपभोग करे का अधिकार है</p> <p>उपरोक्त विवेचन के आधार पर जारी का वाड हकीकत विवादाकार अज्ञा पक्षों को जारी रखनी निवेदन से पाकन किया जाता है कि वे अज्ञा वाड अज्ञा भूमि के गैर मुमकिन चाह में एक दुसरे के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलबाजी न करें। ना ही किसी प्रकार का पुनर्ता निर्माण करें। डिक्ली फ्तो जारी है। निर्णय व डिक्ली का पालन हेतु तद्वीर जारी है। पत्रावली फौसल शुमार देना वाड तमाम ल दायिल दफत है।</p>	


 राजाजल कमकर बस्ती जिला पन्थर